रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022026-269771
CG-DL-E-02022026-269771

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 2, 2026/माघ 13, 1947
No. 87] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 2, 2026/MAGHA 13, 1947

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 92(अ).—जबकि पहचान स्थापित करने के लिए आधार Additional Secretary (Coal)

संख्या का उपयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सब्सिडी, लाभ और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की बहुलता की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है तथा पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है:

और जबकि कोयला मंत्रालय (जिसे इसके बाद उक्त मंत्रालय कहा जाएगा) ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, (यूआईडीएआई) के साथ परामर्श करने के बाद, सुशासन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 (जिसे इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा) के लिए आधार प्रमाणीकरण के नियम 3 के उप-नियम (1) के तहत निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए यह तय किया है कि उक्त मंत्रालय आधार नंबर धारक की पहचान स्थापित करने के लिए प्रमाणीकरण करेगा और प्रमाणीकरण के दौरान आधार नंबर का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी तथा इसे आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के तहत अधिसूचित किया जाएगा:

और जबकि, आधार प्रमाणीकरण निवासियों के जीवन को आसान बनाने और उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) के तहत यथा-विनिर्दिष्ट संशोधित झरिया मास्टर प्लान (जिसे इसके बाद उक्त उद्देश्य कहा जाएगा) के तहत प्रभावित परिवारों के लिए सेवाओं तक बेहतर पहुंच को सक्षम करने के लिए किया जाएगा तथा उक्त उद्देश्य के लिए आधार प्रमाणीकरण का निष्पादन स्वैच्छिक आधार पर होगा और उक्त मंत्रालय इस उद्देश्य के लिए प्रस्तावित आधार प्रमाणीकरण सेवा के लिए ही आधार प्रमाणीकरण करेगा, जिसे प्रभावित परिवारों को लाभों की कुशल, पारदर्शी और लक्षित वितरण सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

और जबकि, इस प्रक्रिया के तहत, कानूनी शीर्षक धारक (एलटीएच) और गैर-एलटीएच परिवारों दोनों को बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा, और लाभ सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में वितरित किए जाएंगे।

अब, इसलिए, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसरण में, उक्त मंत्रालय एतद्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करता है, अर्थात्: -

(1) जैसा कि अधिनियम में उल्लिखित है, उक्त मंत्रालय यहां प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगा।

(2) आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर है, उक्त मंत्रालय आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों के बारे में सूचित करेगा और आधार प्रमाणीकरण से मना करने अथवा ऐसा करने में असमर्थ होने पर आधार संख्या धारक को किसी भी सेवा से वंचित नहीं करेगा, अर्थात्: -

(क) फोटो के साथ बैंक या डाकघर पासबुक;

(ख) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड;

(ग) राशन कार्ड; तथा

(घ) मतदाता पहचान पत्र।

2. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन से लागू होगी।

[फा. सं. 22020/02/2016-सीआरसी-II(भाग-III)(भाग-I)]
सनोज कुमार झा, अपर सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2026

G.S.R. 92(E).—WHEREAS the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

AND WHEREAS the Ministry of Coal (hereinafter referred to as the said Ministry), after consultation with the Unique Identification Authority of India, (UIDAI), for the purposes specified under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules) that the said Ministry shall perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the Act):

AND WHEREAS, the Aadhaar authentication shall be performed for promoting ease of living of residents and enabling better access to services for affected families under the Revised Jharia Master Plan (hereinafter referred to as the said purpose) as specified under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the said Ministry shall perform the Aadhaar

authentication only for the proposed Aadhar Authentication Service for the purpose, which is designed to ensure efficient, transparent, and targeted delivery of benefits to affected families.

AND WHEREAS, under this process, both Legal Title Holders (LTH) and Non-LTH families shall be verified through biometric Aadhaar authentication, and benefits shall be disbursed directly into Aadhaar-linked bank accounts.

NOW, THEREFORE, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Act, the said Ministry hereby notifies the following, namely: —

(1) The said Ministry, as provided in the Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.

(2) The Aadhaar authentication is on voluntary basis, the said Ministry shall inform to the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication, namely: —

(a) Bank or Post Office Passbook with Photo;

(b) Permanent Account Number (PAN) Card;

(c) Ration Card; and

(d) Voter Identity Card.

2. This notification shall come into effect on its publication in the Official Gazette.

[F. No. 22020/02/2016-CRC-II(Part-III)(Part-I)]

SANOJ KUMAR JHA , Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.02.02 21:17:40 +05'30'